कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: : कार्यालय आदेश : :

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक– शिविरा/माध्य/स्थिरी–अ/34851/2017 दिनांक 03.11.2017 एवं 29.11.2017 द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक– एफ. 15 (1) एफ.डी./ रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार पुनरक्षित संशोधित वेतनमान 2017 प्रभावी दिनांक 01.10.2017 अनुसार राज्य कर्मचारियो के वेतन स्थिरीकरण प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–प्रथम को आदेशानुसार कार्मिको के वेतन स्थिरीकरण 2017 अनुमोदन हेतु अधिकृत किया गया था ।

राज्य सरकार के वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 15 (1) एफ.डी. /रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा पुनरक्षित संशोधित वेतनमान 2017 को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी करने के आदेश प्रसारित किये गये है । अतः समस्त कार्मिको के पुनरीक्षित संशोधित वेतनमान 2017 (द्वितीय संशोधन) प्रभावी दिनांक 01.01.2016 अनुसार अनुमोदन की कार्यवाही करेगें । इस हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

1. यह नियम राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतनमान (द्वितीय संशोधन) से जाने जावेगें ।
2. यह आदेश दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होगें ।
3. आदेशानुसार दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 की अवधि का एरियर राशि का भुगतान देय नहीं होगा ।
4. निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक की अवधि का एरियर निर्देशानुसार 03 किश्तों में कार्मिको के जी.पी.एफ. खाते में जमा करवाया जावेगा ।
5. दिनांक 01.01.2004 या उसके पश्चात् नियुक्त हुए कार्मिको को निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक की अवधि का एरियर भुगतान नगद 03 किश्तो में देय होगा ।
6. संशोधित वेतनमान 2017 (द्वितीय संशोधन अनुसार) संशोधित वेतन एवं भत्ते माह अक्टूबर 2017 देय माह नवम्बर 2017 से नगद देय होगा ।
7. संशोधित विकल्प नियमानुसार वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.12.2017 से 03 माह की अवधि में प्राप्त कर सेवा पुस्तिका में इन्द्राज पश्चात् सेवापुस्तिका पर चस्पा किया जावे ।
8. शेष शर्ते जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं 29.11.2017 अनुसार यथावत् रहेगी।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/स्थिरी–अ/34851/2017 दिनांकः 14.12.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान–जयपुर
2. समस्त शिक्षा उपनिदेशक,माध्यमिक
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक प्रथम–द्वितीय
4. प्रधानाचार्य,राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान/अजमेर/बीकानेर
5. प्रधानाचार्य, राजकीय सार्दूल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
6. राज्य परियोजना निदेशक,राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा
9. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए–बी,सी, एफ, सामान्य प्रशासन अनुभाग एवं मुख्यलेखाधिकारी संस्थापन, उपनिदेशक (समाज शिक्षा) को निर्देशित किया जाता है कि निर्देशानुसार वेतन स्थिरीकरण प्रकरण मय सेवा पुस्तिका के अविलम्ब प्रस्तुत करें ।
10. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन अनुभाग को आगामी अंक में प्रकाशित करनें हेतु । (सात प्रतियो में)
11. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने की कार्यवाही करें ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर